भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.12.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 144 का उत्तर

अजीमगंज-न्यू फरक्का खंड पर सड़क उपरि पुल

***144. श्री ईशा खान चौधरी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल्दहा दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अजीमगंज-न्यू फरक्का खंड पर समपार संख्या 43/एसपीएल/ई पर सड़क उपरि पुल (आरओबी) के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सड़क उपरि पुल के निर्माण के अनुमोदन/स्वीकृति/प्रारंभ के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में विलंब किसी बाधा (तकनीकी/प्रशासनिक/वित्तीय) के कारण हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरओबी का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इसे कब तक जनता के लिए खोल दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अजीमगंज-न्यू फरक्का खंड पर सड़क उपरि पुल के संबंध में दिनांक 10.12.2025 को लोक सभा में श्री ईशा खान चौधरी के तारांकित प्रश्न सं. 144 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुलों संबंधी कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर उनके प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके शुरू किया जाता है।

भारतीय रेल पर 2004-14 की तुलना में 2014-25 (अक्टूबर, 2025) की अवधि के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (अक्टूबर, 2025)	13,653 अदद

मालदा मंडल के अज़ीमगंज-न्यू फरक्का खंड में कि.मी. 239/9-10 पर समपार संख्या 43/स्पेशल/ई के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। सामान्य विन्यास आरेख (जीएडी) और विस्तृत अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

पश्चिम बंगाल में 302 अदद स्वीकृत ऊपरी/निचले सड़क पुल निर्माण कार्यों में से, 99 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल निर्माण कार्य राज्य सरकार के कारण रूके हुए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं	कारण	ऊपरी/निचले सड़क पुल (अदद में)
1.	संरेखण को अंतिम रूप देना	41
2.	सामान्य व्यवस्था आरेख चरण	14
3.	समपार समाप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र	27
4.	भूमि अधिग्रहण	10
5.	कानून और व्यवस्था / जनता का विरोध	7
	पश्चिम बंगाल सरकार के कारण रोके गए कुल कार्य	99

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों का समापन और कमीशनिंग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि समपार बंद करने की सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुँच संरेखण तय करना, सामान्य विन्यास आरेख (जीएडी) की मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र में वर्ष में कार्य की अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

(iv) रेलवे द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों को, जहाँ-कहीं संभव हो, एकल इकाई के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे द्वारा एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी जा सकती है।
